



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 18.02.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान गौवध अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाडी महिन्द्रा बुलेरो पिकअप जिसमें भरा हुआ 20 कुंटल प्रतिबन्धित पशु मांस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक गाडी महिन्द्रा बुलेरो पिकअप जिसमें भरा हुआ 20 कुंटल प्रतिबन्धित पशु मांस बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-रहमान पुत्र इरफान निवासी फतेहपुर जट नबादा सर्किट हाउस रोड चौकी हसनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
- 2-मनोज पुत्र ऋषिपाल निवासी फतेहपुर जट नबादा सर्किट हाउस रोड चौकी हसनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- महिन्द्रा बुलेरो पिकअप नं0 UP 11 CT 1536

- 20 कुन्टल प्रतिबन्धित पशु मांस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2.का0 938 जसवन्त कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 1103 संजय सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 927 अरुण भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।